न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019

प्रार्थीगण

1. कृष्ण पुत्र शांतिलाल
2. जीतु पुत्र शांतिलाल
3. भागु पत्नि शांतिलाल
4. मफाराम पुत्र छोगा
5. महेन्द्र पुत्र शांतिलाल
6. विनोद पुत्र शांतिलाल जातियान तुरी तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. मृतक ओखीदेवी पत्नि हंसा के का.मू. वारीसान
   1/1 बगदाराम पुत्र हंसाराम
   1/2 सांकलाराम पुत्र हंसाराम
2. गणेशा पुत्र गजा
3. जगदीश पुत्र बाबु
4. बगदा पुत्र हंसा
5. बगदा पुत्र तेजा
6. मुकेश पुत्र बाबु
7. मोहन पुत्र तेजा
8. रेवीदेवी पत्नि बाबु
9. लेहरा पुत्र गजा
10. सांकला पुत्र हंसा
11. अशोक कुमार पुत्र छगनाराम
12. केली पुत्री छगनाराम
13. गेमाराम पुत्र छगनाराम
14. झमका पुत्री छगनाराम
15. पवनीदेवी पत्नि छगनाराम
16. मथुराराम पुत्र दलाराम
17. उका पुत्र माला
18. कमला पत्नि छोगा
19. पारसाराम पुत्र छोगा
20. उगरा पुत्र सोनाराम
21. करणाराम पुत्र सोनाराम
22. त्रिकमाराम पुत्र सोनाराम
23. दरजाराम पुत्र सोनाराम
24. पवी पुत्री सोनाराम
25. मदा पुत्री सोनाराम
26. रमेश पुत्र सोनाराम
27. सीतादेवी पत्नि सोनाराम
28. अमृत पुत्र छोगाराम
29. प्रतापाराम पुत्र छोगाराम
30. गीता पुत्री रामाराम
31. मृ0 चमना पुत्र रामाराम के का.मू. वारीसान
    31/1 राहुल पुत्र पंकज
    31/2 मनीषा पुत्री पंकज
    31/3 तेजल पुत्री पंकज जरिय कुदरती वली माता मंजु पत्नि पंकज
    31/4 मंजू पत्नि पंकज
32. धनी पत्नि केवा
33. पतापा पुत्र पुनमा
34. फुली पत्नि पुनमा
35. मणी पुत्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

36. मफा पुत्र पुनमा
37. संगीता पुत्री रामाराम जातियान मेधववाल साकिन डूंगरी तहसील रानीवाडा जिला जालोर
38. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
39. भूमि विकास बैंक लि. शाखा रानीवाडा जरिये सचिव
40. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 9, 11, 13 से 23, 26, 27, 33, 34 की ओर से वकील श्री अमुतलाल कटारिया।
3. अप्रार्थी संख्या 38 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक –22.10..2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा डुगरी तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 34 रकबा 3.32 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 34 रकबा 3.32 हैक्टर के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 33 रकबा 5.32 हैक्टर व दक्षिण पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 11 से 16 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 35 रकबा 0.04 हैक्टर,खसरा नबंर 35/1184 रकबा 1.39 हैक्टर व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 36 रकबा 1.43 हैक्टर तथा दक्षिण दिशा में ही अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1377/74 रकबा 2.14 हैक्टर तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 28 व 29 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 74 रकबा 0.96 हैक्टर तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 30 से 37 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1378/74 रकबा 1.76 हैक्टर की आई हुई हैं तथा इसी माफिक अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त प्रार्थीण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 34 रकबा 3.32 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 33 रकबा 5.32 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 11 से 16 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 35 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 35/1184 रकबा 1.39 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 36 रकबा 1.43 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1377/74 रकबा 2.14 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 28 व 29 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 74 रकबा 0.96 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 30 से 37 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1378/74 रकबा 1.76 हैक्टर की सीमाज्ञान को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 37 उक्त सीमा के विवाद को कायम रखना चाहते है। इसे विवाद के चलते प्राथीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested

ने अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 37 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये तहसीलदार रानीवाड़ा को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार द्वारा आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/3375 दिनांक 04.10.2019 के तहत पैमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 11.10.2019 को हल्का पटवारी पैमाईश हेतु आये तथा पैमाईश कर सीमा चिन्ह कायम करने हेतु समझाईश की परन्तु अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से पैमाईश करने से मनाही कर दी तथा मौका फर्द पर हस्ताक्षर भी नहीं किये। मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं करने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम है। इसलिये विवाद को खत्म करने के स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थीण माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीण व प्रार्थी संख्या 1 से 37 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।

2. उक्त आराजी पर विवाद की स्थिति में प्रार्थीगण अपनी आराजी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 37 की आराजी की लगने वाली सीमा का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाना चाहता है। जिससे वास्तविक सीमा का ज्ञान हो सके तथा मौके पर विवाद नहीं हो तथा जो भी पक्षकार उक्त सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी का उल्लधंन करने की चेष्ठा करेगा तो कानून व न्यायालय में गुनहगार होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा डुगरी तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 34 रकबा 3.32 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 33 रकबा 5.32 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 11 से 16 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 35 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नबंर 35/1184 रकबा 1.39 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 36 रकबा 1.43 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1377/74 रकबा 2.14 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 28 व 29 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 74 रकबा 0.96 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 30 से 37 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1378/74 रकबा 1.76 हैक्टर की पैमाईश करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने हेतु कमेटी गठित कर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा पर न्याय हित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3, 10, 12, 24, 25, 28, 29, 30, 31/1 से 31/3, 32, 35, 36, 37, 40 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रकरण में पत्थरगढ़ी करने हेतु अपनी सहमति दी गई। अप्रार्थीगण वकील जवाब देना नहीं चाहते है। अत इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 38 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 38 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डुगरी के खसरा नम्बर 34 रकबा 3.32 हेक्टेयर में कृष्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested

जीतू महेन्द्र विनोद पि. शान्तिलाल भागू पत्नि शांतिलाल मफाराम पुत्र छोगा कौम तूरी सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 34 के पडौस में खसरा नम्बर 33 रकबा 5.32 हैक्टेयर गणेशा पुत्र गजा वगैरह के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 35 रकबा 0.04 है. व 35/1184 रकबा 1.39 हेक्टेयर का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में मथुराराम वगैरह दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 36 रकबा 1.43 हेक्टेयर उका वगैरह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1377/74 रकबा 2.14 हेक्टेयर का इन्द्राज त्रिकमा वगैरह के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 74 रकबा 0.96 हेक्टेयर का इन्द्राज अमृत प्रतापाराम पि. छोगाराम के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1378/74 रकबा 1.76 हेक्टेयर मोहन वगैरह के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा तहसील हाजा के कार्यालय आदेश क्रमांक 24 दिनांक 28.05.2019 की अनुपालना में सीमाकंन किया गया था। परन्तु वक्त सीमाकंन अडौस–पडौस के खातेदारों द्वारा मौका फर्द पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा सीमाकंन पर आपत्ति जताई गई।

4. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 25 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.10.2019 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में भी सीमाकंन अडौस पडौस के खातेदारो द्वारा मौके फर्द पर हस्ताक्षर नहीं किये जाने सीमांकन पर आपत्ति करना बताया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 34, 33, 35, 35/1184, 36, 1377/74, 74 व 1378/74 के मध्य सीमाकंन नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद डूंगरी पटवारी मण्डल डूंगरी के खसरा नम्बर 34, 33, 35, 35/1184, 36, 1377/74, 74 व 1378/74 के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:17:59 IST
Reason: SelfAttested